

- अनुमति की शर्तें।
- (i) सदा भवन/पूजाघर को निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
  - (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्वादिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी व्यक्ति/वर्ग के लिए उत्तरदायी होगा।
  - (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
  - (iv) स्वीकृत नगरीय केंद्र विपरीत निर्माण पावे जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

**केवल शिष्टकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ**  
 कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 598 दिनांक 15/03/2019  
 प्रार्थी श्री हुकमराम पुत्र श्री रत्नराम, भूखण्ड सं: 1092/बी,  
 ने राजस्वज्ञान नगर पालिका अधिनियम 2009 ग्राम-बासनी, जोधपुर  
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय  
 भवन निर्माण हेतु सार्वजनिक कार्यालय में पेश  
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये ₹ 35951/- जमा  
 जरिये रसीद संख्या CR No: 1005/7046, 7047  
 दिनांक 15/03/2019 को जमा करा दी है।

*Yashdeep*  
 प्रारूपकार  
 नगर निगम, जोधपुर

जी + 1  
 आवासीय

हुकमराम  
हुकमराम  
M.No 9414861695